न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 04 / 2023 दायरा दिनांक 27.07.2023
GCMS No. 2023/6

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

सन्जू बाई पुत्री चन्दा जाति बलाई निवासी कांकडदा तहसील किशनगंज जिला–बारां।

– अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला–बारां राजस्थान।
2. रेना पुत्री चन्दा जाति बलाई निवासी कांकडदा तहसील किशनगंज जिला–बारां।
3. रूपा पुत्री चन्दा जाति बलाई निवासी कांकडदा तहसील किशनगंज जिला–बारां।
4. गीता पत्नी स्व. चन्दा जाति बलाई निवासी कांकडदा तहसील किशनगंज जिला–बारां।

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–
श्री रामकिशन नागर – अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 27-09-2024

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नम्बर 454 दिनांक 30.05.2000 केम्प काकंडदा

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी इंतकाल नम्बर 454 दिनांक 30.05.2000 ग्राम कांकडदा को निरस्त करने बाबत इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज द्वारा प्रमाणित किया गया इंतकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि वांके ग्राम कांकडदा पटवार हल्का कांकडदा तहसील किशनगंज जिला बारां में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्टस् क्रम 2 लगायत 4 एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खातें की आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 2.0800 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 90 रकबा 10.7 बीघा, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 94 रकबा 1.14 बीघा) खसरा नम्बर 452 रकबा 0.3900 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 216 रकबा 2.08 बीघा) खसरा नम्बर 502 रकबा 0.8200 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 223 रकबा 5.01 बीघा) खसरा नम्बर 703 रकबा 0.0200 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 473 रकबा 0.03 बीघा), खसरा नम्बर 704 रकबा 0.0200 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 472 रकबा 0.03 बीघा), खसरा नम्बर 705 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, (पुराना खसरा नम्बर 475 रकबा 0.09 बीघा), खसरा नम्बर 761 रकबा 0.3400 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 375 रकबा 2.02 बीघा), खसरा नम्बर 791 रकबा 0.1100 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 374 रकवा 0.14 बीघा) कुल किता 8 कुल रकबा 3.85 हैक्टेयर (23.18 बीघा) स्थित है। जिसको अपील में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2055–2058 के दौरान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट 2, 3 के दादाजी एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 4 के श्वसुर पन्ना पुत्र गोप्या एवं अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट 2, 3 के पिता एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 4 के पति चन्दा पुत्र पन्ना का निधन दादाजी पन्ना के जीवन काल में ही हो चुका था।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट 2, 3 के दादाजी एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 4 के श्वसुर पन्ना पुत्र गोप्या का निधन होने के पश्चात् वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ने राजस्व अभियान के दौरान केम्प कांकडदा में पन्ना का विरासतन इन्तकाल संख्या 454 दिनांक 30.05.2000 ग्राम कांकडदा तस्दीक करते समय मृतक चन्दा के विधिक वारिसान के नामों की सही जांच पडताल किए बिना गलत एवं मनमाने तरीके से दर्ज कर अपीलान्ट का नाम

Scanned with OKEN Scanner

सन्जू बाई के स्थान पर परिवार में सबसे छोटी होने के कारण छोटी के नाम से अन्य वारिसान के साथ तस्दीक कर दिया। उस समय अपीलान्ट नाबालिग थी और अपीलान्ट का वास्तविक नाम संजू बाई था अतः छोटी दर्ज नहीं कर संजू बाई दर्ज करना चाहिए था इसलिए अपीलान्ट रेस्पोडेण्ट क्रम 1 द्वारा बिना जांच पडताल तस्दीक किए गए नामान्तरकरण संख्या 454 दिनांक 30.05.2000 ग्राम कांकडदा को निरस्त करवाकर मृतक पन्ना के स्थान पर अन्य वारिसान मांगीलाल, मोहनलाल, श्योजी पुत्र पन्ना, गीता पुत्री पन्ना एवं अशादी बाई बेवा पन्ना, रेना, रूपा पुत्रियां चन्दा एवं गीता बाई बेवा चन्दा के नाम यथावत रखते हुए छोटी के स्थान संजू बाई सही दर्ज करवाते हुए नए सिरे से इन्तकाल तस्दीक करवाने की अधिकारी है और चालू राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी छोटी के स्थान संजू बाई दर्ज करवाकर खाता दूरस्त करवाने की अधिकारी है।

अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण संख्या 454 दिनांक 30.05.2000 ग्राम कांकडदा की जानकारी दिनांक 13.03.2023 को उस समय हुई जब अपीलान्ट ने उक्त इन्तकाल की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त की इसलिए अपील पेश करने में हुआ विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

रेस्पोटेन्ट कम 2 ता 4 ने उपस्थित होकर जबाव अपील पेश कर निवेदन किया कि:-

अपील की मद नं0 1 स्वीकार हैं।
अपील की मद नं0 2 स्वीकार हैं।
अपील की मद नं0 3 स्वीकार हैं और कथन हैं कि अपीलान्ट हम रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 की छोटी बहन हैं तथा रेस्पोडेन्ट कम 4 की पुत्री हैं।
अपील की मद नं0 4 स्वीकार हैं।
अपील की मद नं0 5 व 6 कानूनी हैं।

जबाव अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 454 दिनांक 30.05.2000 ग्राम काकंडदा को संशोधित किया जाकर छोटी बाई के स्थान पर संजू बाई दर्ज किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट 2, 3 के पिता एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 4 के पति चन्दा पुत्र पन्ना का निधन दादाजी पन्ना के जीवन काल में ही हो चुका था। अपीलाण्ट् व रेस्पोडेण्ट क्रम 2 व 3 मृतक पन्ना के पुत्र चन्दा की पुत्री व रेस्पोडेण्ट क्रम 4 बेवा हैं। मृतक चन्दा के विधिक वारिसान के नामों की सही जांच पडताल किए बिना गलत एवं मनमाने तरीके से दर्ज कर अपीलान्ट का नाम सन्जू बाई के स्थान पर परिवार में सबसे छोटी होने के कारण छोटी के नाम से तस्दीक कर दिया। उस समय अपीलान्ट नाबालिग थी और अपीलान्ट का वास्तविक नाम संजू बाई था सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम छोटी गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सन्जू बाई है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज में अपीलान्ट का नाम सन्जू बाई होना पाया जाता हैं। रेस्पोडेण्ट 2 ता 4 के प्रस्तुत अपील जबाव में भी छोटी का वास्तविक नाम सन्जू बाई होना स्वीकार किया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कांकडदा का इन्तकाल संख्या 454 दिनांक 30.05.2000 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहाबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 454 दिनांक 30.05.2000 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहाबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner